राजस्थान सरकार
संसदीय कार्य विभाग

प्रेषितिः–
(1) समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव।
(2) समस्त प्रमुख शासन सचिव।
(3) समस्त शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
(4) प्रमुख सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
(5) समस्त जिला कलक्टर्स।

क्रमांक : प. 2(2)संसद/93 **जयपुर, दिनांक :** 11-1-2024

विषय : सौलहवीं राजस्थान विधान सभा के लिए सरकारी मुख्य सचेतक की नियुक्ति व उन्हें प्रदान की गयी सुविधाओं के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता के पत्र संख्या PA/SCM/2024/124 दिनांक 08 जनवरी, 2024 एवं राजस्थान विधान सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या एफ.1(30)(1)साशा/विस/2023 दिनांक 09 जनवरी, 2024 के अनुसार सौलहवीं राजस्थान विधान सभा के लिए राजस्थान विधान सभा में सरकारी मुख्य सचेतक के पद पर राजस्थान विधानसभा (अधिकारियों और सदस्यों की परिलब्धियां एवं पेंशन) अधिनियम, 1956 की धारा 5 की उपधारा (2) में दिये गये स्पष्टीकरण के अन्तर्गत **श्री जोगेश्वर गर्ग, सदस्य, राजस्थान विधानसभा** को सरकारी मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है।

उक्त अधिनियम की धारा 5, 6क तथा 7 के अधीन सरकारी मुख्य सचेतक को वेतन, भत्ते, मकान, कार, टेलीफोन आदि की सुविधाएं दी गयी है। साथ ही निम्नलिखित नियमों के अधीन वे सुविधाएं/रियायतें, जो **माननीय मंत्रियों** को प्राप्त हैं, सरकारी मुख्य सचेतक को भी दी गयी हैंः–

1. राजस्थान विधान सभा अधिकारी (चिकित्सीय–परिचर्या) नियम, 1981
2. राजस्थान विधान सभा अधिकारी (यात्रा भत्ता तथा राजकीय कार का उपयोग व रख रखाव) नियम, 1981
3. राजस्थान विधान सभा अधिकारी (बिजली और पानी विषयक रियायतें) नियम, 1981
4. राजस्थान विधान सभा अधिकारी (मोटर कार क्रय के लिए ऋण) नियम, 1981
5. राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (टेलीफोन सुविधा) नियम, 2005
6. राजस्थान विधानसभा अधिकारी (निवास की सुसज्जा और रख–रखाव) नियम, 2006 व (संशोधन) नियम, 2019

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(ज्ञान प्रकाश गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजभवन, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय, जयपुर।
5. निजी सचिव, माननीय सरकारी मुख्य सचेतक, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ शासन उप सचिव